न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थी

जब्बरसिंह पुत्र लालसिंहजी जाति राजपूत निवारी भेव तहसील शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1.अशोक कुमार पुत्र भगा
2.पार्वतीदेवी पत्नी भगा
3.भरतकुमार पुत्र भगा
4.मनोहरकुमार पुत्र भगा
5.विक्रमकुमार पुत्र भगा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता पार्वती पत्नी भगा
6.सुरेशकुमार पुत्र भगा
जातिगण कुम्हार निवारीगण–भेव तह0 शिवगंज
7.तहसीलदार, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल
अप्रार्थी सं0 1 ता 6

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 65/2024
दिनांक 18.03.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी राजस्व भूमि ग्राम भेव पटवार हल्का बागसीन तहसील शिवगंज में आई हुई है। प्रार्थी की उपरोक्त राजस्व भूमि पर जाने के लिए दक्षिण दिशा में स्थित खसरा संख्या 203/9 व खसरा सं. 194 मौजा भेव, पटवार हल्का बागसीन की माठ के पास राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा सं. 195 में स्थित रास्ते पर भेव से जावाल की डामर सडक खसरा सं. 396 से होकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 507/196 रकबा 1.6754 हैक्टयर के दक्षिण दिशा की माठ के किनारे पर स्थित पुराने रास्ते से पूर्वजो के समय से आ जा रहा है तथा उक्त अप्रार्थीगण की राजस्व भूमि भेव से जावाल जाने वाले रास्ते खसरा संख्या 396 में स्थित डामर सडक से होकर खसरा सं. 195 में स्थित रास्ते से आगे स्थित है। प्रार्थी उक्त डामर सडक से खसरा संख्या 195 में स्थित रास्ते से होकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 507/196 के दक्षिणी हिस्से पर स्थित लोर (माठ) के पास स्थित रास्ते से अपने पूर्वजो के समय से नियमित रूप से अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 197 मे कृषि कार्य व पशुओ को चराने हेतु आने जाने के उपयोग में ले रहा है। जो रास्ता लगभग 70 वर्ष पूर्व से वक्त चकबंदी से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने जान बुझकर प्रार्थी के कृषि कार्य में रोडा अटकाने व आने जाने से रोकने के लिए अप्रार्थी के खेत की दक्षिणी दिशा की माठ से जाने वाले रास्ते को अवरोधक व कांटा की बाड तथा धोरा लगाकर बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि में जाकर कृषि कार्य करना असंभव हो गया है तथा प्रार्थी के पशुओ को अपनी राजस्व भूमि पर चरने हेतु ले जाना व पुनः घर गांव भेव में लेकर आना असंभव हो गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता भेव से जावाल जाने वाली डामर सडक खसरा सं. 396 से होकर आगे पूर्वी दिशा मे खसरा सं. 195 में स्थित रास्ते होकर आगे पूर्वी दिशा की तरफ अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 के कृषि भूमि की दक्षिणी माठ पर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे मे A से B दर्शित किया गया है। प्रार्थी के खेत पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अतः उपरोक्तानुसार दर्शित भेव से जावाल जाने वाली सडक से आगे खसरा सं. 195 में स्थित होकर अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 के खेत की दक्षिणी माठ से होकर आगे [illegible] खसरा सं. 197 तक नक्शे मे दर्शित अप्रार्थीगण के खेत मे से A से B स्थान पर 15 फी[illegible] रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त स्थान पर प्रार्थी का खेत ल[illegible] का खेत यहां से कम दुरी पर स्थित होने से 251 A में निहित प्रा[illegible] उचित एवं सुगम है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण अब माह अक्टुबर 2024 में उत्प[illegible] हुआ, जब अप्रार्थीगण [illegible] आने जाने के रास्तो को बन्द कर दिया है। उक्त रास्ते को प्रार्थी [illegible] पूर्वजो के समय से [illegible] योग मे लेता आ रहा है लेकिन अब अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को बन्द करने से प्रार्थी को कृषि कार्य करने हेतु आने जाने व पशुओ को जाने ले जाने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी विधि में निहित प्रावधान अनुसार रास्ते के बदले नियत की जाने वाली राशि अदा करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि में आने जाने हेतु 15 फीट चौडा रास्ता दिलाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:01:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 626 दिनाक 09.12.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक 19 दिनांक 07.01.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थी के खसरे में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित रास्ता ग्राम भेव के खसरा संख्या 195 किस्म गैर.मु. रास्ता में खसरा संख्या 509 / 196 खातेदारी भूमि किस्म ब–2 में से होते हुए खसरा संख्यां 507 / 196 खातेदारी भूमि किस्म ब–2 में से प्रार्थी के जोत में प्रवेश करेगा। सुलभ सन्दर्भ हेतु मौका फर्द में नजरी नक्शा ऑनलाइन नक्शा की संलग्न प्रिंट में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही में दर्शित है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र लालसिंह द्वारा विगत बीस से पच्चीस वर्षो से किया जा रहा था परन्तु वर्तमान में अशोक कुमार पुत्र भगा जाति कुम्हार वगैरह द्वारा खाई खोदकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 509 / 196 में 13X13 वर्गफीट=169 वर्गफीट अर्थात 15.70 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 507 / 196 में 600X13 वर्ग फीट=7800 वर्ग फीट अर्थात 724.64 वर्गमीटर यानि कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 613 X13 वर्गफीट 7969 वर्गफीट अर्थात 740.34 वर्गमीटर बनता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 195 किस्म गे. मु.रास्ता पर मिलता है व उक्त प्रस्तावित रास्ता रेकर्ड अनुसार सरकारी रास्ते से निकटतम व लघुत्तम दूरी का है। प्रस्तावित रास्ते में कोई सरंचना निर्मित नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की DLC दर 447000 रुपये प्रतिहेक्टेयर है प्रस्तावित रास्ते की भूमि की कुल कीमंत 33094 रूपये बनती है। जिसकी दुगुनी राशि 66188 रूपये बनती है। परिशिष्ट अ में जो नक्शा पेश किया है उसमें ए से बी तक मार्क रास्ता (13 फीट) देने योग्य बताया है। प्रार्थी की भूमि से लगता हुआ एक अन्य खसरा संख्यां 189 / 3 रकबा 0.2266 हेक्टेयर किस्म ब–2 खातेदार गेनाराम पुत्र चेलाराम जाति कुम्हार वगैरह की संयुक्त खातेदारी भूमि विद्यमान है जो अन्दौर से भेव जाने वाले डामर सडक से शुरू होकर प्रार्थी की खादेदारी भूमि तक उपलब्ध है वर्तमान में रास्ते के रूप में स्वयं खातेदारों के उपयोग में आ रहा है व प्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र लालसिंह इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस रास्ते की कुल लम्बाई खातेदारी भूमि में 1220 फीट है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 24.12.2024 को प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया। दिनांक 28.1.2025 को उभय वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थनापत्र पर बहस की जिसे सुना गया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई परन्तु अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 189 / 3 में वर्णित रास्ता पहले से ही मौजूद है। जिससे बहस पूर्ण नहीं की जा सकी व तहसीलदार शिवगंज से खसरा नं0 189 / 3 के संबंध में पुनः स्पष्ट रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र कमांक 100 दिनांक 12.02.2025 के द्वारा बताया कि ग्राम भेव के खसरा नं0 189 / 3 रकबा 0.2266 हैक्टयर किस्म ब–2 दर्ज है जो कि खातेदार गेनाराम पुत्र चैलाराम जाति कुम्हार निवासी भेव व अन्य के नाम पर खातेदारी भूमि दर्ज है। यह भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है व न हि यह भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। इस भूमि में से प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो इसकी लम्बाई 1220 फीट होती है। व पूर्व प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 509 / 196 व 507 / 196 में से प्रस्तावित रास्ता 613 फूट लम्बाई में है जो कि प्रार्थी की भूमि में जाने हेतु लधुत्तम दूरी पर है। अतः तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व जांच रिपोर्ट पर उभय वकील पक्षकारान की दिनांक 19.02.2025 को बहस सुनी गई। दिनांक 25.02.2025 को उक्त पत्रावली आदेश हेतु नियत थी परन्तु हमने पत्रावली व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन व उस पर मनन किया तो हमने पाया कि खसरा नं0 189 / 1, 189 / 2, 189 / 6 व 189 / 7 के खातेदारान के मध्य विभाजन होने से उनके द्वारा स्वयं के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु राजस्व नक्शें में खसरा नं0 189 / 3 रास्ते के रूप में दर्शित हो रहा है जबकि तहसीलदार शिवगंज द्वारा यह बताया कि खसरा नं0 189 / 3 गेनाराम व अन्य के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। यह भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है व न हि यह भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है जबकि राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में स्पष्ट दर्शित हो रहा है जिससे तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। जिस पर उनके पत्र कमांक 133 दिनांक 06.03.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम भेव के खसरा नंबर 189 / 3 रकबा 0.2266 हेक्टेयर किस्म ब–2 उक्त भूमि खातेदार गेनाराम पुत्र चैलाराम जाति कुम्हार वगैरह की शामलाती कृषि भूमि (15 सह–खातेदार) की निजी खातेदारी भूमि है जिसका उक्त सह–खातेदार अपने निजी उपयोग में लेते हैं। उक्त खसरा स. 189 / 3 वर्तमान में खातेदारी भूमि है जिसका किसी भी खातेदार (15 सह–खातेदार) द्वारा रास्ता हेतु समर्पण राज्य सरकार के हक में नहीं किया है व उक्त खसरा की किस्म ब–2 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:01:26 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... शेष पेज संख्या 3 पर

प्रकरण सं0 65/2024
जब्बरसिंह व अन्य बनाम अशोककुमार व अन्य
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

प्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र लालसिंह यदि इस खसरा नंबर से रास्ते हेतु धारा 251 'क' में आवेदन करता है तो यह रास्ता 1220 फीट लंबाई का होगा जो लघुतम दूरी का नहीं होगा। उक्त खसरा स. 189 का बंटवारा करने से बना है जिससे नवीन खसरा नंबर 189/3 बना है जिसमे उक्त भूमि समस्त खातेदारों की शामलाती भूमि रखी गयी है कही भी रास्ता होने का उल्लेख नहीं है। उक्त आराजी समस्त सह–खातेदारों (15 सह–खातेदार) की शामलाती खातेदारी भूमि है जिसका उपयोग खातेदार अपने निजी उपयोग के लिए करते हैं खसरा संख्या 189/3 रकबा 0.2266 क़िस्म ब–2 है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किये कि राज0 काश्तकारी अधिनियम 251 'क' के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर लधुत्तम दूरी का रास्ता डी.एल.सी. दर की दुगुनी कीमत पर दिया जाने का प्रावधान है जो कि तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 509/196 व 507/196 में से प्रस्तावित रास्ता 613 फूट लम्बाई में है जो कि लधुत्तम दूरी पर है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो निम्न प्रकार है–

1. **2025(1)DNJ (REV)** page no.58 धर्मादेवी बनाम खीमाराम रेवेन्यू बॉर्ड अजमेर
2. **2024(2)RRT page** no.1428 अमराराम व अन्य बनाम बुधराराम व अन्य रेवेन्यू बॉर्ड अजमेर

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के बहस का खण्डन करते हुए बताया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 189/3 में वर्णित रास्ता पहले से ही मौजूद है। जिससे प्रार्थी को अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। व प्रार्थी को तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगणों के प्रत्येक हिस्से में काफी कम भूमि शेष बचेगी इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 189/3 में से रास्ता उपलब्ध होने से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/जांच रिपोर्ट, विद्वान अधिवक्ताओं की बहस तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन व उस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी खसरा नं0 189/3 रकबा 0.2266 हैक्टयर खातेदार गैनाराम पुत्र चैलाराम जाति कुम्हार वगैरह की शामलाती कृषि भूमि (15 सहखातेदार) की निजी खातेदारी भूमि है जो कि सहखातेदारों के निजी रास्ते के रूप में ही छोडा गया है। जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु पहले से ही रास्ता उपलब्ध है, जिससे नया रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नहीं होगा। हमने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया परन्तु उक्त न्याायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु पहले से ही खसरा नं0 189/3 रकबा 0.2266 हैक्टयर भूमि उपलब्ध है तथा खसरा नं0 189/3 प्रार्थी के खेत की सीमा से लगा हुआ है। अतः हम प्रार्थी को अन्य रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नहीं समझते है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिवगंज को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं. 189/3 रकबा 0.2266 हैक्टयर भूमि में से प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में अविलम्ब भिजवाने हेतु आदेशित किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:01:26 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
दिनांक 18.03.2025

कमांक/कोर्ट/2025/137
प्रतिलिपि पालनार्थ :–
तहसीलदार शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)